परिषद् को भी प्रतिनिधित्व देना हो, तो उसके अध्यक्ष को ही नामित किया जाये।

जहां तक हो, दिल्ली के बाहर के सदस्यों की संख्या कम ही रखी जाए ताकि यात्रा और दैनिक भत्तों में मितव्ययिता बरती जा सके। जब कभी राजभाषा विभाग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी खास वर्ग या क्षेत्र को किसी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह उस समिति में अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है।

3. राजभाषा विभाग से परामर्श :— केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी सलाहकार समितियों के गठन के बारे में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार से राय लेना अनिवार्य है। अब एक नया राजभाषा विभाग बन गया है। इस विभाग के सचिव, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार भी हैं। इसलिये अब समितियों के गठन के बारे में राजभाषा विभाग से ही पूर्व परामर्श काफी होगा। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि परामर्श संबंधित मंत्री के अंतिम आदेश लेने के पहले किया जाये।

4. समिति का कार्यक्षेत्र :— विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का काम केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी काम काज के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और अपने मंत्रालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है। यदि इन मंत्रालयों से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समितियां राजभाषा नीति के संबंध में कोई बुनियादी परिवर्तन सुझाती हैं तो मंत्रालय को चाहिये कि वे राजभाषा विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना उन पर अमल न करें।

Missing Children

5694. SHRI S. S. LAL: Will the Minister be please to state:

(a) whether it is a fact that the number of missing children in the country and particularly in the capital is on the increase causing panic among the public;

(b) if so, the steps being taken or proposed to be taken by the Government to do away with such illegal activities of undesirable elements in the country; and

(c) the number of cases where children below 10 years were kidnapped and recovered during the past six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Officers in the Jat Regiment of Indian Army

5695. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of officers in the Jat Regiment of Indian Army; and

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) 434

(b)	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
	2	—

Clearance of Power Projects in Punjab

5696. SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that long outstanding and already given consent to, various power projects in Punjab are not getting final clearance from the Centre: